149 केन्द्रीय लोक उद्यमों को शक्ति प्रदान करना– नवरत्न लोक उद्यमों की प्रत्यायोजित शक्तियों में बढ़ोतरी

अधोहस्ताक्षरी को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को विश्व स्तरीय आकार देने संबंधी इस विभाग के तारीख 22 जुलाई 1997 के का.ज्ञा. सं. लो.उ.वि./11(2)/97–वित्त का हवाला देने का निर्देश हुआ है जिसमें ऐसे लोक उद्यमों को विभिन्न शक्तियां प्रत्यायोजित की गई थीं जिनके पास प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त और वैश्विक कंपनी बनने के लिए क्षमता है, जिन्हें वर्तमान में नवरत्न के नाम से जाना जाता है।

2. राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किए गये इस वायदे को ध्यान में रखते हुये कि प्रतिर्स्पधात्मक वातावरण में काम करने वाली लाभ अर्जित करने वाली सफल कंपनियों को पूरी प्रबंध और वाणिज्य संबंधी स्वायत्तता दी जाएगी, सरकार ने नवरत्न लोक उद्यमों के निदेशक मंडल को इस समय प्रत्यायोजित शक्तियों की समीक्षा की है और उन्हें निम्नलिखित तरीके से बढ़ाने का निर्णय लिया है:

(i) भारत या विदेश में वित्तीय संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां स्थापित करने के लिए ईक्विटी निवेश एक प्रोजेक्ट के लिए अधिकतम लोक उद्यम के निवल संपत्ति का 15% होगी जो अधिकतम 1000 करोड़ रूपये होगी। सभी प्रोजेक्टों पर कुल मिलाकर अधिकतम सीमा लोक उद्यम की निवल संपत्ति का 30% होगी।

(ii) इन लोक उद्यमों के निदेशक मंडलों को इन शर्तों के साथ विलय और अधिप्रापण की शक्ति होगी कि (i) यह लोक उद्यमों की वृद्धि योजना के अनुसार होना चाहिये और यह लोक उद्यमों की कार्य प्रणाली का मुख्य विषय होना चाहिये। (ii) इसकी शर्ते और सीमाएं वही होंगी जो संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों की स्थापना के मामले में होगी; और (iii) विदेश में निवेश करने के मामले में आर्थिक कार्य की मंत्रिमंडल समिति को सूचना दी जाएगी। यह लोक उद्यम विभाग के तारीख 11.02.2003 के का.ज्ञा. सं. 3(2)2003– लो.उ.वि. (वित्त) जी एल XVI के आंशिक संशोधन में है।

(iii) इन लोक उद्यमों के निदेशक मंडल को उद्यम के निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार बोर्ड से निचले स्तर के कार्यपालकों का मानव संसाधन प्रबंधन (नियुक्ति, स्थानान्तरण, तैनाती आदि) से संबधित शक्तियों को आगे उप समितियों या लोक उद्यमों के कार्यपालकों को प्रत्यायोजित करने की शक्ति प्राप्त है।

(iv) लोक उद्यम के मुख्य कार्यपालक को आपात स्थिति में कारोबार के संबंध में प्रकार्यमूलक निदेशक की 5 दिनों की विदेश यात्रा (अध्ययन यात्रा, संगोष्ठी आदि के अलावा) का अनुमोदन देने की शक्ति प्राप्त है तथा इसकी सूचना प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव को दी जाएगी। मुख्य कार्यपालक के मामले सहित अन्य सभी मामलों में विदेशों में की जाने वाली यात्राओं के लिए प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के मंत्री से पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता होगी।

3. इस समय नवरत्न हैसियत इस शर्त के अधीन है कि ये लोक उद्यम बजटीय सहायता या सरकारी गारंटी पर निर्भर नहीं होंगे। जहां कहीं विदेशी दाता एजेंसियों की मानक शर्त के अनुसार सरकारी गारंटी की आवश्यकता है वह प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से वित्त मंत्रालय से प्राप्त की जाए। यह सरकारी गारंटी नवरत्न हैसियत पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

4. उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन के अधीन प्रत्यायोजित अन्य शक्तियां अपरिवर्तित रहेंगी। उक्त कार्यालय ज्ञापन के अधीन प्रत्यायोजित अन्य शक्तियां अपरिवर्तित रहेंगी। उक्त कार्यालय ज्ञापन में दी गई शर्तें और दिशा निर्देश अपरिवर्तित रहेंगे और उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा।

5. संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग कार्यालय ज्ञापन की विषय–वस्तु को इन उद्यमों की जानकारी में लाएं।

(लो.उ.वि. का.ज्ञा.सं. 18(24)/2003 – जी एम – जी एल–64 तारीख 5 अगस्त, 2005)